



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर -273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

क्रमांक-87

आर.बी.ई. सं.-120/2022

मिसिल संख्या. ई/216/2/पार्ट/चार/चार

दिनांक 03.10.2022

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

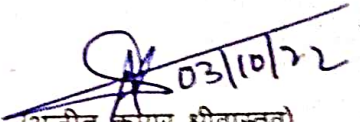
विषय :- Payment of Productivity Linked Bonus to all eligible non-gazetted Railway employees for the financial year 2021-22.

सन्दर्भ :- रेलवे बोर्ड का पत्र सं. E(P&A)II/2022/PLB-1

दिनांक 01.10.2022

रेलवे बोर्ड का पत्र सं. सं. E(P&A)II/2022/PLB-1 (RBE No 120/2022)
Dated 01-10-2022 की प्रतिलिपि सूचना, मार्ग दर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि


(अजीत कुमार श्रीवास्तव)
सकाधि/एमपीपी
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) महामंत्री/एन.ई. रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर।
- 2) महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
- 3) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर।
- 4) महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एवं ओबीसी एसोसियेशन/गोरखपुर।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर -273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

क्रमांक-87

आर.बी.ई. सं.-120/2022

मिसिल संख्या. ई/216/2/पार्ट/चार/चार

दिनांक 03.10.2022

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

समी विभागाध्यक्ष

समी मण्डल रेल प्रबन्धक

समी कार्मिक अधिकारी

समी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

समी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

विषय :- Payment of Productivity Linked Bonus to all eligible non-gazetted Railway employees for the financial year 2021-22.

सन्दर्भ :- रेलवे बोर्ड का पत्र सं. E(P&A)II/2022/PLB-1

दिनांक 01.10.2022

रेलवे बोर्ड का पत्र सं. सं. E(P&A)II/2022/PLB-1 (RBE No 120/2022)

Dated 01-10-2022 की प्रतिलिपि सूचना, मार्ग दर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(अजीत कुमार श्रीवास्तव)
सकाधि/एमपीपी
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) महामंत्री/एन.ई. रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर।
- 2) महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
- 3) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर।
- 4) महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एवं ओबीसी एसोसियेशन/गोरखपुर।

03/10/22
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
Railway Board/ रेलवे बोर्ड

No. E(P&A)II/2022/PLB-1

RBE No.129/ 2022
New Delhi, dt.01.10.2022

The General Managers/CAOs,
All Indian Railways & Production Units etc.

Subject: Payment of Productivity Linked Bonus to all eligible non-gazetted Railway employees for the financial year 2021-22.

The President is pleased to sanction Productivity Linked Bonus (PLB) equivalent to 78 (Seventy Eight) days wages without any ceiling on wages for eligibility for the financial year 2021-22 to all eligible non-gazetted Railway employees (excluding all RPF/RPSF personnel). Where, wages exceed ₹7000/- per month, Productivity Linked Bonus will be calculated as if the 'wages' are ₹7000/- p.m.

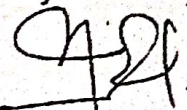
2. 'Wages' for the purpose of calculating Productivity Linked Bonus shall include 'Basic pay' as defined in the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016 and Dearness Allowance drawn during the financial year 2021-22. Other conditions of eligibility, method of calculation of wages, etc., as prescribed in this Ministry's instructions and clarifications issued from time to time, shall remain unchanged.

3. It has also been decided that in the case of eligible employees mentioned in Para 1 above who were not placed under suspension, or had not quit service/retired/expired during the financial year 2021-22 or were on leave where leave salary admissible is not less than that admissible on leave on average pay, may be paid an amount of ₹17,951/- towards Productivity Linked Bonus for the financial year 2021-22. In the case of employees other than those mentioned above, the amount of Productivity Linked Bonus may be calculated in accordance with the extant instructions on the subject.

4. Further, in relaxation to the provisions in Rules 905(2), 908 and 909 of State Railway Provident Fund Rules, as contained in Chapter 9 of R-I/1985 edition (2003 Reprint edition), such of the subscribers to the SRPF as are entitled to Productivity Linked Bonus may, if they so desire, deposit the whole or part of the amount admissible under the Scheme in their respective State Railway Provident Fund Accounts.

5. Disbursement of Productivity Linked Bonus for the financial year 2021-22 to all eligible non-gazetted Railway employees mentioned in Para 1 above should be made in the same mode as payment of salary on priority basis.

6. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.



(N.P. Singh)

Joint Director, Estt.(P&A)
Railway Board

Email: nirbhay.singh26@gov.in
4th Floor, Room No.10

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / Railway Board)

आरबीई सं. 120/2022

सं.ई(पी एंड ए)II/2022/पीएलबी-1

नई दिल्ली, दिनांक: 01.10.2022

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां आदि।

विषय: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सभी पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को उत्पादकता
संबद्ध बोनस का भुगतान करना।

राष्ट्रपति, सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों (रेल सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल के सभी कर्मचारियों को छोड़कर) को पात्रता के लिए मजूरी की बिना किसी सीमा के वित्त वर्ष 2021-22 हेतु 78 (अठहत्तर) दिनों की मजूरी के समतुल्य उत्पादकता संबद्ध बोनस के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं। जहाँ मजूरी 7,000/- रुपए (सात हजार रुपए) प्रति माह से अधिक है, वहाँ उत्पादकता संबद्ध बोनस की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो मजूरी 7,000/- रुपए (सात हजार रुपये) प्रति माह ही है।

2. उत्पादकता संबद्ध बोनस की गणना के प्रयोजन के लिए 'मजूरी' में रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 में यथा परिभाषित 'मूल वेतन' तथा वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लिया गया मंहगाई भत्ता शामिल होगा। इस मंत्रालय के अनुदेशों में यथानिर्धारित पात्रता की अन्य शर्तें, मजूरी का परिकलन करने की पद्धति आदि और समय-समय पर जारी स्पष्टीकरण अपरिवर्तनीय रहेंगे।

3. यह भी विनिश्चय किया गया है कि उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित पात्र कर्मचारियों, जो निलंबित नहीं थे या जिन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सेवा नहीं छोड़ी थी/सेवानिवृत्त नहीं हुए थे/जिनकी मृत्यु नहीं हुई थी या जो ऐसी छुट्टी पर थे कि अनुमेय छुट्टी वेतन, औसत वेतन छुट्टी के दौरान अनुमेय वेतन से कम न हो, के मामले में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए उत्पादकता संबद्ध बोनस के तहत 17,951/- रुपए की राशि का भुगतान किया जाए। ऊपर लिखित कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के मामले में उत्पादकता संबद्ध बोनस की राशि की गणना इस विषय पर विद्यमान अनुदेशों के अनुसार की जाए।

4. इसके अलावा, आर-1/संस्करण 1985 (पुनर्मुद्रित संस्करण 2003) के अध्याय 9 में यथा अंतर्विष्ट राज्य रेल भविष्य निधि नियमों के नियम 905(2), 908 और 909 में उल्लिखित उपबंधों में छूट देते हुए, राज्य रेल भविष्य निधि के वे अंशदाता, जो उत्पादकता संबद्ध बोनस पाने के पात्र हैं, यदि चाहें तो अपने संबंधित राज्य रेल भविष्य निधि लेखे में, इस योजना के अंतर्गत स्वीकार्य पूर्ण अथवा आंशिक राशि जमा करा सकते हैं।

5. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए उत्पादकता संबद्ध बोनस का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर उसी प्रकार किया जाए, जिस प्रकार वेतन का भुगतान किया जाता है।

6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(एन. पी. सिंह)

संयुक्त निदेशक, स्थापना (वेतन एवं भत्ते)

रेलवे बोर्ड

ईमेल: nlrhbhay.singh26@gov.in

चतुर्थ तल, कमरा नं.10

नई दिल्ली, दिनांक: 01.10.2022

सं.ई(पी एंड ए)II/2022/पीएलबी-1

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित।

विचारन शास्त्रीजानी

सं.ई(पी एंड ए)II/2022/पीएलबी-1

कृते सदस्य (वित्त)/रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक: 01.10.2022

प्रतिलिपि:-

- (1) प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि।
- (2) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16 अशोक रोड, लखनऊ।
- (3) महानिदेशक, आरडीएसओ, लखनऊ।
- (4) निदेशक (क) इरीन, नासिक (ख) इरीसेन, पुणे, (ग) इरिमी, जमालपुर (घ) इरिसेट, सिकंदराबाद।
- (5) प्रिंसीपल, एनएआईआर, वड़ोदरा।
- (6) अध्यक्ष, आरसीसी, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
- (7) अध्यक्ष, आरआरटी, चेन्नै।
- (8) अध्यक्ष, आरसीटी, दिल्ली।
- (9) अध्यक्ष, आरआरबी/अजमेर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बिलासपुर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोलकाता, जम्मू, गोरखपुर, गुवाहाटी, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद और तिरुवनंतपुरम।
- (10) महाप्रबंधक, कोर, इलाहाबाद।
- (11) संपादक, 'भारतीय रेल' कमरा नं.469, रेल भवन, नई दिल्ली।
- (12) संपादक, 'इंडियन रेलवेज़' कमरा नं.411, रेल भवन, नई दिल्ली।
- (13) संपादक, 'रेल राजभाषा' कमरा नं.543, रेल भवन, नई दिल्ली।
- (14) अध्यक्ष, यात्री सेवा समिति, 218, रेल भवन, नई दिल्ली।
- (15) सी.ए.ओ. (आर) कॉफमो, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली।
- (16) निदेशक, कैमटेक, ग्वालियर।
- (17) सी.ए.ओ., (क) एमटीपी (आर), मुंबई (ख) एमटीपी (आर) चेन्नै।